रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937
No. 605]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 749(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1991 और केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध रसायन सहायक ग्रेड-। और रसायन सहायक ग्रेड-2 के पदों से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में समूह 'ख' (अराजपत्रित) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) रसायन सहायक भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं, आदि –** पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीन विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रसायन सहायक	231 (2015) * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित/ अननुसचिवीय	वेतन बैंड - 2 9300 - 34800 रू. +ग्रेड वेतन 4200 रू.	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
तीस वर्ष से अनाधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक :** (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में बैचलर डिग्री; (ख) किसी सरकारी विभाग या स्वायत्त या कानूनी निकाय या रजिस्ट्रीकृत संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर संगठन (उपक्रम) या सूचीबद्ध प्राइवेट सेक्टर संगठन में रसायन विश्लेषण अनुसंधान में दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव संबधी (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के

		आधार पर जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए है और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है मे से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिंम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) निदेशक (राजस्व प्रयोगशालाएं) – अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला - सदस्य (iii) उप निदेशक, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए – 12018/14/2012 – प्रशा. -3 (ख)]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2015

G.S.R. 749(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Revenue Control Laboratory(Group 'Ç' and Group 'D' posts) Recruitment Rules,1991 and the Central Revenue Subordinate Chemical Service ("C" and "D" posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Chemical Assistant Grade-I and Chemical Assistant Grade-II, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' (Non- Gazetted) post in the Central Revenues Control Laboratory , namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group "B" Non- Gazetted post) Chemical Assistant Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scales .- The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scales attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3 Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc. – The method of recruitment to the post, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4 Disqualification. - No Person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .- Where that Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates, belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward Classes, Ex–serviceman and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chemical Assistant	231 * (2015) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group “B”, Non-Gazetted/Non-Ministerial	Pay band -2 Rs 9300 - 34,800/- Grade pay of Rs. 4200/-	Not applicable	Not exceeding thirty years Note1.- Relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the central Government. Note 2.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of Applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Nagaland, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential – a)Bachelor’s Degree in Chemistry from a recognised University or Institute b) Two years’ experience in Chemical Analysis or Research in a Government Department or Autonomous or Statutory Body or Recognised Institution or University or Public Sector Organisation (Undertaking) or Listed Private Sector organisation. **Note1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of Candidates otherwise well qualified. **Note2.-** The qualifications regarding experience are

						relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reason to be recorded in writing in the case of Candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority, is of opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for directed recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/ deputation /absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration on one year or more may be filled on transfer on deputation basis from officers of Central Government, holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct recruits under Column (7) (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group "B" Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation):- 1. Director (Revenue Laboratories) Central Revenues Control laboratory –Chairman 2. Joint Directors, Central Revenues Control laboratory -Member 3. Deputy Director, Central Revenues Control laboratory - Members	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/14/2012-Ad.III.(B)]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.